न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।
वाद संख्या 3934/2026
राज्य बनाम मौ0 बिलाल

दिनांक 20.07.2026

पत्रावली प्रार्थी/अभियुक्त मौ0 बिलाल की ओर से द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री मौहम्मद दानिश द्वारा अभियुक्त के दोषी होने का अभिवचन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तलब की गयी। अभियुक्त अपने विद्वान अधिवक्ता सहित उपस्थित।

2. अभियुक्त की ओर से मामले में दोषी होने का अभिवचन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अभियुक्त की परीक्षा अंतर्गत धारा–274 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 अंकित किया गया, जिसमें भी अभियुक्त का दोषी होने का स्वेच्छा से अभिवचन किया गया। अतः अभियुक्त द्वारा दोषी होने का अभिवचन किये जाने के आधार पर उसे अंतर्गत् धारा 285, 292 भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दोषसिद्ध किया जाता है।

3. दोषसिद्ध को सजा के प्रश्न पर सुना गया। उसकी ओर से कथन किया गया कि उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

4. मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए निम्न दण्डादेश पारित किया जाता है।

आदेश

5. **1.** अभियुक्त मौ0 बिलाल को **अंतर्गत धारा 285 भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दोषसिद्ध करते हुए मुब0 4,000/–रूपये जुर्माने** से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त को 10 दिन का साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

2. अभियुक्त मौ0 बिलाल को **अंतर्गत धारा 292 भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दोषसिद्ध करते हुए मुब0 1,000/–रूपये जुर्माने** से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त को 03 दिन का साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

6. दोषसिद्ध द्वारा यदि जुर्माना जमा कर दिया जाता है, तो उसे अभिरक्षा से छोड़ दिया जायेगा।

7. पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार संचयित हो।

(रवि प्रकाश)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देहरादून